



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 14 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2429/9-1-2020-08टी0ए0-20

लखनऊ, 14 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-489

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त

संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत मान्धाता बाजार, जिला प्रतापगढ़ के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1
नगर पंचायत मान्धाता बाजार, जिला प्रतापगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्र

क्रमांक	दिशा	ग्राम का नाम	सीमावर्ती गाटा संख्याएं
1	2	3	4
1	पूर्व	अकोढ़िया	65, 1, 22, 170, 196, 200, 644
		लाखापुर	370, 412, 414, 423, 457, 460, 462
		कटाता	1, 109, 225, 278, 258, 178, 167, 166
2	पश्चिम	सरायमेदीराय	1, 25, 46, 106
		सरायहरिनारायन	12, 23, 27, 107, 294, 330, 516
		अहिना	1, 12, 163, 168, 182
		लाखुपुर	194, 195
		अमैयामऊ	80, 83, 92, 341, 363, 367, 378
		धनीपुर	128, 48, 979, 1204, 1550, 1400, 573
3	उत्तर	बासूपुर	193, 197, 229, 234, 237, 240, 242, 243
4	दक्षिण	लिलौली	923, 924, 917, 916, 915, 910, 908, 911
		लाखूपुर	790, 779, 722, 713, 445, 129, 125
		भगवानपुर	22, 6, 5, 1

अनुसूची-2
नगर पंचायत मान्धाता बाजार, जिला प्रतापगढ़ का क्षेत्र

क्रम संख्या	ग्रामों/राजस्व ग्रामों का नाम	सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र
1	बासूपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
2	लाखूपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
3	अमैयामऊ	सम्पूर्ण क्षेत्र
4	सरायहरिनारायन	सम्पूर्ण क्षेत्र
5	सरायमेदीराय	सम्पूर्ण क्षेत्र
6	अहिना	सम्पूर्ण क्षेत्र
7	लाखापुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
8	मानधाता	सम्पूर्ण क्षेत्र
9	अकोढ़िया	सम्पूर्ण क्षेत्र
10	कटाता	सम्पूर्ण क्षेत्र
11	लिलौली	सम्पूर्ण क्षेत्र
12	भगवानपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
13	धनीपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2429/IX-1-2020-08T.A.-20, dated December 14, 2020:

No. 2429/IX-1-2020-08T.A.-20
Dated Lucknow, December 14, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

Draft Notification

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in the Schedule 1 and 2 below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Maandhata Bazar in District Pratapgarh.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Maandhata Bazar District Pratapgarh

Sr. No.	Direction	Name of Village	Gata no. of Boundary
1	2	3	4
1	East	Akodhiya	65, 1, 22, 170, 196, 200, 644
		Lakhapur	370, 412, 414, 423, 457, 460, 462
		Katata	1, 109, 225, 278, 258, 178, 167, 166
2	West	Sarai Medirai	1, 25, 46, 106
		Saraiharinarayan	12, 23, 27, 107, 294, 330, 516
		Ahina	1, 12, 163, 168, 182
		Lakhapur	194, 195
		Amayyamau	80, 83, 92, 341, 363, 367, 378
		Dhanipur	128, 48, 979, 1204, 1550, 1400, 573
3	North	Basupur	193, 197, 229, 234, 237, 240, 242, 243
4	South	Lilauli	923, 924, 917, 916, 915, 910, 908, 911
		Lakhapur	790, 779, 722, 713, 445, 129, 125
		Bhagwanpur	22, 6, 5, 1

SCHEDULE-2

Area included in Nagar Panchayat Derwa Bazar in District Pratapgarh

S. No.	Name of Villages/Revenue Villages	Included Area
1	Basupur	Total Area
2	Lakhapur	Total Area
3	Amaiymau	Total Area
4	Saraiharinarayan	Total Area
5	Sarai Medirai	Total Area
6	Ahina	Total Area
7	Lakhapur	Total Area
8	Maandhata	Total Area
9	Akodhiya	Total Area
10	Katata	Total Area
11	Lilauli	Total Area
12	Bhagwanpur	Total Area
13	Dhanipur	Total Area

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.